

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग ।

सेवा में

1. रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय ।
2. सभी विभागाध्यक्ष हरियाणा ।
3. मण्डल आयुक्त, अम्बाला, रोहतक, हिसार व गुड़गांव ।
4. सभी उपायुक्त हरियाणा ।
5. सभी बोर्ड/कार्पोरेशन हरियाणा ।

यादि क्रमांक 29/4/2010-4 जे0जे0-1

दिनांक चण्डीगढ़ 10-2-2015

विषय :- हरियाणा राज्य लिटिगेशन पालिसी को संशोधित करने बारे।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र सम क्रमांक दिनांक 06.02.2015 के सन्दर्भ में।

2. विषयोक्त मामले में आपको सूचित किया जाता है कि माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय की Judicial Reforms कमेटी के कुछ सुझाव तथा राष्ट्रीय लिटिगेशन पालिसी अनुसार हरियाणा राज्य लिटिगेशन पालिसी को modify/revamped किया गया है। जिस बारे दिनांक 04.02.2015 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उक्त modify/revamped पालिसी के ड्राफ्ट की प्रतियां सभी विभागाध्यक्षों को भेजी जाये और 15 दिन के अन्दर-2 सुझाव/टिप्पणी मांगी जायें। जिसकी प्रतियां आपको दिनांक 06.02.2015 को पहले ही भेजी जा चुकी है।

3. अतः आपसे अनुरोध है कि modify/revamped की गई हरियाणा राज्य लिटिगेशन पालिस पर अपने सुझाव/टिप्पणी 15 दिन के अन्दर-अन्दर भिजवाने का कष्ट करें ताकि उक्त पालिसी को अन्तिम रूप दिया जा सकें। कृपया इसे अति आवश्यक समझा जायें।

जगतादीप
अवर सचिव,

कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।